जोतों की चकबन्दी

स्ट्रिकलैण्ड (Strikland) के अनुसार, "**चकबन्दी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी कृषकों को उनके इधर-उधर बिखरे हुए खेतों के बदले में उसी किस्म के कुल उतने ही आकार के एक या दो खेत लेने के लिए राजी किया जाता है।**" इस प्रकार चकबन्दी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है, लेकिन चकबन्दी करने में उसी प्रकार की भूमि मिले जिस प्रकार की कृषक की भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों पर है, ऐसा होना सदा सम्भव नहीं है। उसको पहले से अच्छी या घटिया भूमि मिल सकती है ऐसी स्थिति में भूमि का मूल्य लगाया जाता है। यदि उसको पहले से अच्छी भूमि मिलती है तो उसकी मात्रा कम होती है। इसके विपरीत, यदि भूमि पहले से घटिया मिलती है तो उसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन जब

Scanned with CamScanner

भूमि की कुल मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो फिर इसकी क्षतिपूर्ति रुपयों में आँकी जाती है जिसको लेकर या देकर हिसाब किया जाता है।

यह चकबन्दी दो प्रकार की होती है—(1) ऐच्छिक चकबन्दी, (2) अनिवार्य चकबन्दी।

(1) **ऐच्छिक चकबन्दी—इससे अर्थ उस चकबन्दी से है जिसमें चकबन्दी कराना कृषक की इच्छा पर निर्भर करता है।** उस पर चकबन्दी कराने के लिए दबाव नहीं डाला जाता है। अतः इस प्रकार की चकबन्दी से अच्छे परिणाम निकलते हैं और बाद में विवाद खड़ा नहीं होता है। इस प्रकार की चकबन्दी की शुरुआत भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में 1921 में हुई थी जहाँ पर सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य किया गया था। पंजाब के समान ही अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के नियम बनाये गये जिनमें यह व्यवस्था की कि यदि गाँव के 90 प्रतिशत किसान चकबन्दी के लिए सहमत हों तो उस गाँव में ऐच्छिक चकबन्दी की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में शेष 10 प्रतिशत को यह व्यवस्था मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी गुजरात, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबन्दी कानून हैं।

(2) **अनिवार्य चकबन्दी—अनिवार्य चकबन्दी से अर्थ उस चकबन्दी से है जिसके अन्तर्गत कृषक को चकबन्दी अनिवार्य रूप से करानी पड़ती है।** ऐसी चकबन्दी कानूनी चकबन्दी भी कहलाती है। ऐच्छिक चकबन्दी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल को छोड़कर तथा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नगालैण्ड, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल हैं जहाँ चकबन्दी सम्बन्धी कोई कानून नहीं हैं, शेष सभी राज्यों में अनिवार्य चकबन्दी कानून लागू हैं।

चकबन्दी की प्रगति—भारत में 9 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में चकबन्दी सम्बन्धी कानून हैं जिनके अन्तर्गत चकबन्दी की जा रही है। पंजाब व हरियाणा में चकबन्दी का कार्य पूरा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष राज्यों में अभी आवश्यक गति आना बाकी है। अब तक देशभर में 1,633.47 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी कर दी गयी है।

भूमि की चकबन्दी करने में कई कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं :

(1) **भूमि के प्रति लगाव**—सामान्यतया यह पाया जाता है कि कृषक अपनी पैतृक भूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे उसको उसकी भूमि से अच्छी भूमि ही क्यों न चकबन्दी में दी जाय। इसका मुख्य कारण भूमि के प्रति अत्यधिक स्नेह ही होता है। यह एक ऐसी कठिनाई है जिस पर पार पाना सम्भव नहीं होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामाजिक वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें सामुदायिक विकास कर्मचारी एवं पंचायतें अपना अच्छा योगदान दे सकती हैं।

(2) **भूमि के मूल्यों में अन्तर**—चकबन्दी में दूसरी कठिनाई भूमि के मूल्यांकन की है। सभी भूमियों की उत्पादन क्षमता एक-सी नहीं होती है और न सभी भूमियों के मूल्य ही एक होते हैं। जो भूमि गाँव के पास होती है उसका मूल्य अधिक होता है, जबकि जो भूमि दूर होती है उसका मूल्य कुछ कम ही होता है। इस प्रकार विभिन्न भूमियों के विभिन्न मूल्य होते हैं। चकबन्दी में उन मूल्यों के उचित निर्धारण की कठिनाई है। यह मूल्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं।

(3) **प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी**—चकबन्दी में तीसरी कठिनाई प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। विभिन्न भू-खण्डों का सर्वेक्षण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया नहीं मिलते हैं जिससे चकबन्दी उचित प्रकार से नहीं हो पाती है।

(4) **एक चक न मिलना**—चकबन्दी में बाधा एक प्रकार की भूमि न मिलने की भी है जिसके परिणामस्वरूप कृषकों को दो या तीन प्रकार के खेत मिलते हैं जो चकबन्दी के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करते हैं।

(5) **पक्षपात**—चकबन्दी अधिकारी ईमानदारी से कार्य न करके पक्षपात नीति अपनाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

(6) **किसानों द्वारा विरोध**—बड़े किसान इस चकबन्दी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं उनकी उपजाऊ भूमि उनके पास से न निकल जाय और उसके बदले में कम उपजाऊ भूमि न मिल जाय।

(7) **व्यय**—चकबन्दी में एक कठिनाई खर्चों की है। जब चकबन्दी की जाती है तो उसका व्यय कौन दे—सरकार या किसान। किसान खर्च देने का विरोध करता है। अतः ऐसी स्थिति में चकबन्दी के व्यय सरकार द्वारा ही सहन किये जाते हैं।

Scanned with CamScanner

चकबन्दी होने से कृषकों को निम्नलिखित लाभ होते हैं :

(1) **उत्पादन, आय तथा रहन-सहन में सुधार**—उसका उत्पादन बढ़ता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और रहन-सहन के स्तर में भी उन्नति होती है। (2) **कृषि उन्नति**—बड़े खेत होने से कृषि की उन्नति की जा सकती है जिसके लिए ट्यूबवैल, बिजली, ट्रैक्टर, आदि की व्यवस्था की जा सकती है। (3) **पूंजीगत साधनों का पूर्ण उपयोग**—कृषक के द्वारा अपने पूंजीगत साधनों—हल-बैल, यन्त्र, आदि का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। (4) **श्रम एवं अन्य साधनों की बचत**—साधनों को एक खेत से दूसरे खेत पर लाने एवं ले जाने में जो समय नष्ट होता है उसकी बचत हो जाती है तथा एक ही स्थान पर खेती करने से कृषि इनपुट (inputs) कम लगते हैं। अतः उनकी भी बचत हो जाती है। (5) **भूमि अपव्यय की बचत**—भिन्न-भिन्न स्थानों के खेतों में बाउण्ड्री लगानी पड़ती है जिसमें भूमि का अच्छा-खासा हिस्सा निकल जाता है, लेकिन सभी खेत एक चक होते हैं तो कम भूमि ही बाउण्ड्री में निकलती है। इस प्रकार भूमि अपव्यय की बचत हो जाती है। (6) **भूमि का उचित निरीक्षण**—छोटे-छोटे खेत होने से सभी भूमियों की उचित देखभाल नहीं हो सकती है, लेकिन जब सभी खेत एक चक के रूप में होते हैं तो उनकी उचित देखभाल की जा सकती है। (7) **विवादों में कमी**—चकबन्दी से पारस्परिक मेड़ सम्बन्धी विवादों में कमी हो जाती है जिससे कृषक शान्ति से अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ़कर आगे बढ़ सकता है।

Scanned with CamScanner